

प्रश्न सं. [क. 3366]

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

परिधि 1
क्रमांक : एफ-4-60/2015/55-2
भोपाल, दिनांक 09/12/2015

क्रमांक : एफ-4-60/2015/55-2

भोपाल, दिनांक 09/12/2015

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम,
भोपाल।

विषय :-

विदिशा में 150 सीटेड चिकित्सा महाविद्यालय एवं 750 बेडेड अस्पताल के निर्माण के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति बावत।

संदर्भ :-

इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 4-62/2013/55-2 दिनांक 26.06.2015

=00=

विदिशा में 150 सीटेड चिकित्सा महाविद्यालय एवं 750 बेडेड अस्पताल तथा परिसर का निर्माण कार्य बिल्ड ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बीओटी) एन्यूटी योजना पद्धति से करने हेतु इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-62/2013/55-2 दिनांक 26.06.2015 द्वारा रुपये 308.67 करोड़ की जारी पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की जाती है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा विदिशा में 150 सीटेड चिकित्सा महाविद्यालय एवं 750 बेडेड अस्पताल तथा परिसर का निर्माण एवं उन्नयन कार्य रुपये 265.19 करोड़ (रुपये दो सौ पैसठ करोड़, उन्नीस लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/ उक्त निर्माण कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सभी कार्य विभाग एवं कार्य विभाग की तरह काम करने वाले विभागों के लिये मानक निविदा प्रपत्र पर निविदा आमंत्रित कर किया जावे।

संलग्न-1. परियोजना परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर.।

2. परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दि.7.10.2015

का कार्यवाही विवरण।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 09/12/2015

पृ. क्रमांक : एफ 4-60/2015/55-2.

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।

2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।

4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आडिट भवन, ग्वालियर।

7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।

8. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।

9. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा।

10. कलेक्टर, विदिशा।

11. संयुक्त संचालक सड़क अधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा।

12. जिला कोषालय, अधिकारी विदिशा।

13. नोडल अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर पालनार्थ।

14. निज सहायक, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
मध्य प्रदेश
चिकित्सा शिक्षा विभाग

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभागमध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग